**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 4753

उत्तर देने की तारीख 23.03.2020

**निःशक्त बच्चों हेतु शिक्षक**

**†4753. श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं जहां निःशक्त बच्चों की संख्या दस से अधिक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल दोनों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित है जो क्रमशः 30:1 और 35:1 है। पूर्ववर्ती योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)- अब समग्र शिक्षा के तहत समाहित, के कार्यढ़ांचे के अनुसार माध्यमिक स्तर पर पीटीआर 30:1 होना चाहिए। यूडाईस 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर 23:1, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के लिए 25:1 और माध्यमिक स्तर के लिए 26:1 है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकतर स्कूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के तहत आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और पुनः परिनियोजन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं। तथापि, समग्र शिक्षा के तहत - एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना 2018-19 में शुरू हुई थी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने हेतु अतिरिक्त शिक्षकों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ग) से (घ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। ये विशेष प्रशिक्षक भ्रमण मोड में काम करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की विविध और विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु सामान्य शिक्षकों को सहायता प्रदान करते हैं। अब तक, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों सहित 28285 विशेष प्रशिक्षक सेवारत हैं। इसके अलावा, सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम अभिग्रहण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौजूदा तिथि तक, 4.24 लाख सामान्य शिक्षकों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

***